पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1583
दिनांक-01.09.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-ठाकुरगंज

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी से फलस्वरूप दहेज हत्या के अभियुक्तगण को आजीवन कारावास की सजा।

01-कार्यवाही का विवरण---

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** के दृष्टिगत, **पुलिस आयुक्त, श्री तरूण गाबा महोदय** व **संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार** द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय में सघन पैरवी के क्रम में **पुलिस उपायुक्त पश्चिमी** व **अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी** के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त चौक व प्रभारी निरीक्षक थाना ठाकुरगंज के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का0 अश्वनी मौर्या के द्वारा प्रभावी पैरवी व अथक प्रयास किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 23.09.2023 को **वादी श्री शिव प्रकाश** पुत्र सुंदर लाल नि0-ग्राम सुल्तानपुर थाना हसनगंज जनपद उन्नाव के द्वारा दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0-651/2023 धारा-498ए/304बी भादवि0 व 3/4डीपी एक्ट थाना ठाकुरगंज लखनऊ** बनाम **01-अजयजीत शुक्ला उर्फ संजू -पति** 02-**सरला उर्फ सुशीला**-सास व 03-**राजू शुक्ला उर्फ राजीव**-जेठ नि0गण-445/541 न्यू विश्वास नगर मल्लाही टोला थाना ठाकुरगंज लखनऊ के पंजीकृत किया गया। जिसमें **आरोप पत्र दिनांक-21.03.2024** को मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।

जिसमें मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखनऊ द्वारा संज्ञान लेकर दिनांक 21.03.2024 को ही आरोप का निर्धारण किया गया। थाना-ठाकुरगंज पुलिस ने उक्त प्रकरण में कुशल पैरवी करते हुए **वाद सं0-506/2024 मु0अ0सं0-651/2023 धारा-498ए/304बी भादवि0 व 3/4डीपी एक्ट थाना ठाकुरगंज** लखनऊ में अभि0गण के द्वारा वादी की पुत्री को दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित करने व हत्या कर देने के सम्बन्ध में दिनांक-18.08.2026 को दोषसिद्ध कराते हुए मा0 न्यायालय से **आजीवन कारावास एवं और 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है।**

03-फैसला का विवरण—

मा0 न्यायालय स्पेशल जज आयुर्वेद घोटाला प्रकरण लखनऊ द्वारा दिनांक 18.08.2026 को मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण बनाम 01-**अजयजीत शुक्ला उर्फ संजू** -पति 02-**सरला उर्फ सुशीला**-सास व 03-**राजू शुक्ला उर्फ राजीव**-जेठ नि0गण-445/541 न्यू विश्वास नगर मल्लाही टोला थाना ठाकुरगंज लखनऊ को **धारा-304बी भादवि0 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया गया** व दोषसिद्ध अपराधीगण को धारा 4 डीपी एक्ट में 01-01 वर्ष के साधारण कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक को 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभि0गण द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी। सभी मौलिक सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

04- अभियुक्त का विवरण---

01-अजयजीत शुक्ला उर्फ संजू -पति
02-सरला उर्फ सुशीला-सास
03-राजू शुक्ला उर्फ राजीव-जेठ नि0गण-445/541 न्यू विश्वास नगर मल्लाही टोला थाना ठाकुरगंज लखनऊ

05-पैरवीकर्ता----

01-प्रभारी निरीक्षक श्री ओमवीर सिंह चौहान थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
02-का0 अश्वनी कुमार मौर्या पैरोकार थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1581

दिनांक-01.09.26

जोन- पूर्वी/ थाना-गाजीपुर

- **थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **पीड़िता के न्यायालयीन कथन एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियोग को सुसंगत धाराओं में तरमीम कर दोनों अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.08.2026 को थाना गाजीपुर पर वादिनी द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 0282/2026 धारा 74 BNS एवं 7/8 पाक्सो अधिनियम बनाम 1. गुड्डू एवं 2. अमित पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान पीड़िता के मा0 न्यायालय में दर्ज बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों में शारीरिक शोषण के आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट होने पर अभियोग को धारा 70(2) BNS एवं धारा 5(G)/6 पाक्सो अधिनियम में तरमीम किया गया।

दिनांक 31.08.26 को जरिये अभिसूचक सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्तगण गुड्डू एवं अमित सेक्टर-25 से मुंशी पुलिया जाने वाली सर्विस रोड के किनारे खड़े हैं। सूचना पर थाना गाजीपुर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों व्यक्तियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। नियमानुसार विधिक कार्यवाही अभि0गण के विरूद्ध की जा रही है। अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण:-

1.गुड्डू केवट पुत्र बराती लाल केवट हाल पता रज्जन का किराये का मकान ग्राम टीकापुरवा इंदिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ, मूल पता ग्राम लोहंगपुर थाना संधना जिला सीतापुर उ0प्र0 उम्र 19 वर्ष

2.अमित कश्यप पुत्र राम सहाय कश्यप हाल पता राम प्रसाद का किराये का मकान ग्राम टीकापुरवा इंदिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ, मूल पता ग्राम नेवादा बरुआ थाना खैराबाद जिला सीतापुर उ0प्र0 उम्र 20 वर्ष

04-आपराधिक इतिहास

01-मु0अ0सं0 282/2026 धारा 70(2)बीएनएस व 5(जी)/6 पाक्सो एक्ट थाना गाजीपुर लखनऊ

05-अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. व0उ0नि0 श्री सुरेश कुमार पाण्डेय
2. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार
3. उ0नि0 श्री धनपाल
4. का0 भुवन विक्रम चतुर्वेदी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1582
दिनांक-01/09/2026

प्रेस नोट थाना-कैसरबाग

- **कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को थाना कैसरबाग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 20/06/2026 को वादी मुकदमा श्री विक्रम सिंह की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना कैसरबाग, लखनऊ पर **मु0अ0सं0-112/2026 धारा 318(2)/338/336(2)/340(2)/352/351(2) BNS** पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त **विवेक यादव उर्फ विरेन्द्र** की गिरफ्तारी हेतु थाना कैसरबाग पुलिस द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

दिनांक 31/08/2026 को थाना कैसरबाग पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त वांछित अभियुक्त **अगम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स, निकट गोलू ढाबा, बिजनौर रोड, गडौरा, थाना बिजनौर, जनपद लखनऊ** के पास अपने एक परिचित के साथ खड़ा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गयी। मुखबिर द्वारा अभियुक्त की पहचान किये जाने के उपरांत पुलिस टीम द्वारा मौके पर खड़े व्यक्ति को रोककर नाम-पता पूछा गया, जिसने अपना नाम **विवेक यादव उर्फ विरेन्द्र पुत्र स्व0 सभाजीत यादव, निवासी 214 सरसवा, अर्जुनगंज, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 37 वर्ष** बताया।

अभियुक्त को उसके विरुद्ध पंजीकृत अभियोग एवं गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराते हुए दिनांक **31/08/2026 को समय करीब 23:40 बजे** विधिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02- अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह प्रॉपर्टी डीलरों के यहां ब्रोकर का कार्य करता है। उसके द्वारा ग्राहकों से प्राप्त धनराशि में से अपने हिस्से की धनराशि का उपयोग उधारी चुकाने एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में किया गया। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त धनराशि से उसने **आईफोन 13 प्रो मैक्स मोबाइल** खरीदा था तथा शेष धनराशि में से **₹5,500/-** उसके पास मौजूद थे।

अभियुक्त के कथनानुसार ग्राहकों की धनराशि का शेष भाग फर्म के बड़े साझेदार **आलोक मय खरे** द्वारा खर्च किया गया। अभियुक्त द्वारा ग्राहकों को प्लॉट उपलब्ध नहीं करा पाने की बात भी स्वीकार की गयी है। प्रकरण में अभियुक्त के कथनों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की जा रही है।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

विवेक यादव उर्फ विरेन्द्र पुत्र स्व0 सभाजीत यादव निवासी- 214 सरसवा, अर्जुनगंज, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ

उम्र- करीब 37 वर्ष

05- बरामदगी

- 01 अदद आईफोन 13 प्रो मैक्स मोबाइल
- ₹5,500/- नकद

06- गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 प्रशान्त कुमार
2. उ0नि0 अरविन्द कुमार
3. उ0नि0 सावंत कुशवाहा
4. का0 करमचन्द्र